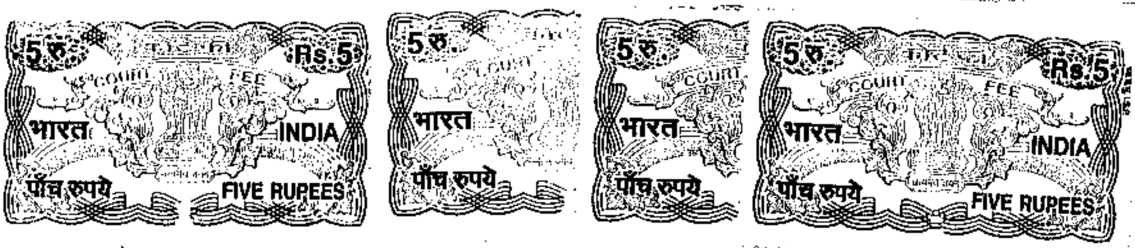

न्यायालय म. प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

नि-1205-PBR-16

प्र. क्र.– /16 निगरानी

R-1

18-4-16

असरफ खान पुत्र असलम खान निवासी कुमहार भट्टी पालदा तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.) ....**प्रार्थी**

बनाम

अध्यक्ष प्रजापति बृजवासी समाज ग्राम पालदा तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.)

---**प्रतिप्रार्थी**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 (म.प्र.) भूराजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 14.03.16 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील इंदौर प्र.क्र. 23/14–15 बी. 121

श्रीमान महोदय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1205–पीबीआर/16 [अस्मरण/[illegible] आपत्ति] जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–6–2016	आवेदक की ओर से श्री आर.एस. गौड़ अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर तर्क सुने गये । तहसीलदार के आदेश दिनांक 14–3–2016 की सत्यप्रतिलिप का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अंतिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया है, और अंतिम स्वरूप के आदेश के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रतिबंधित है । जहां तक प्रकरण के गुण–दोष का प्रश्न है, तहसीलदार द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक द्वारा इस आशय की शिकायत की गई है कि सर्वे नम्बर 84/1 व 84/2 की भूमियां अनावेदक द्वारा गलत तरीके से अपना नाम अंतरित करा ली गई है, जबकि वास्तव में उक्त भूमियां अनावेदक के स्वामित्व की भूमियां हैं एवं प्रकरण कमांक 122/अ–6/2013–14 आदेश दिनांक 4–8–2014 से उसका फौती नामांतरण हुआ है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयाल) अध्यक्ष	